भारत–चीन और तिब्बत

आचार्य पंकज

गत 22 जून 2008 ई0 को मैं सर्व सेवा संघ के राश्ट्रीय अधिवेषन कुरूक्षेत्र–हरियाणा में उपस्थित रहा। देष की स्थिति पर वहां काफी चर्चा चली, परन्तु विषेश रूप से दलाई लामा को लेकर भारत–चीन और तिब्बत पर अस्पश्ट विचार, एक पूरे सत्र में सुनने को मिले। अतः उसी पर अपना लेख प्रस्तुत कर सुधी पाठकों से मार्ग–दर्षन का निवेदन भी कर रहा है।

अमेरिका ने चीन में कम्यूनिश्ट क्रांति रोकने के लिए ''चीनियों के विरूद्ध चीनियों को लड़ाने'' की साम्राज्य रणनीति बनायी थी। इसी रणनीति के तहत् अमेरिका ने 1927 से 1949 तक कामरेड माओ की कम्यूनिश्ट पार्टी के विरूद्ध ''चियांग काई षेक'' को अपना मोहरा बनाया था और उसे एषिया का महान नेता कहा था; किन्तु चीन की महान जनता की नयी जनवादी क्रान्ति ने 1 अक्टूबर 1949 को एषिया के इस महान नेता को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया था। आज अमेरिका द्वारा दलाई लामा को विष्व के महान् आध्यात्मिक नेता की उपाधि दी जा रही है।

''विष्व पूँजीवाद को आज एक भूत सता रहा है।'' चीनी साम्यवाद का भूत। इतिहास का द्वन्दवाद ऐसा है कि चीनी साम्यवाद विष्व की सबसे बड़ी आर्थिक–सैनिक षक्ति के रूप में तब उभर रहा है, जब एक ओर वहाँ 8 अगस्त 2008 से ओलम्पिक खेलों का आयोजन चल रहा है तो दूसरी ओर विष्व पूँजीवाद विषेश कर अमेरिका विष्व–इतिहास की सबसे बड़ी मन्दी (त्मबमेपवद) में फंसा हुआ है, जो 1929–33 के बीच की महामारी से भी बड़ी है। चीनी साम्यवाद के भूत को भगाने के लिए अमेरिका ने दलाई लामा को खड़ा किया है। दुनिया भर में तिब्बतियों से चीन के ओलम्पिक खेलों के विरूद्ध प्रदर्षन कराया जा रहा है। खुद तिब्बत की राजधानी ल्हासा में 14 मार्च 2008 ई0 व्यापक पैमाने पर कम्यूनिश्ट विरोधी हिसांत्मक कार्यवाईया कराई गयी थी। इससे स्पश्ट हो जाता है कि अमेरिका गुप्तचर विभाग ने कम्यूनिश्ट विरोधी दलाई लामा को दूसरा कम्यूनिश्ट विरोधी चियांग काई षेक बना दिया है। याद रहे दलाई लामा और चांग काई षेक दोनों की जन्मजात चीनी नागरिक हैं और दोनों अमेरिका एजेंट के रूप में इस्तेमाल किए गए।

तिब्बत जिसका अर्थ ''दुनिया की छत'' होता है। दुनिया में सबसे पहले ''बारूद'' की खोज करने वाले और हथियार के रूप में उसका इस्तेमाल करने वाले मंगोलियायी सरदार चंगेज खाँ ने 1206 में जीतकर पूरे चीन के साथ इसका एकीकरण किया था। मंगोलियायी भाशा में चीन(ब्ीपदं) को यूआन (ल्नंद) कहा जाता है। इसलिए 1271 में चंगेज खाँ के पौत्र कुबलाई खान ने जब ''तिब्बत सहित पूरे चीन'' का एकीकरण किया था, तभी उसने ''सूआन वंष'' की स्थापना की थी। 1271 से 1904 तक तिब्बत लगातार चीन का अभिन्न हिस्सा रहा। बिटिष साम्राज्य के भारत स्थित वायसराय लार्ड कर्जन ने औपनिवेषिक हितों में मार्च 1904 में जनरल यंग हसबैण्ड को आक्रमण के लिए तिब्बत भेजा था। चीन की सरकार के आदेष पर तिब्बत में तिब्बती और ब्रिटिष सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। ब्रिटिष सेनाएँ हार गई थी। फिर दुबारा तिब्बत में 6 महीने के आक्रमण और युद्ध के बाद चीन की केन्द्रीय सरकार, जिसे क्विंग सम्राट संचालित रक रहे थे, ने सुलह की थी। अंग्रेजों ने इस सुलह का लाभ उठाकर अपना पोस्ट ऑफिस और दूतावास तिब्बत में कायम कर लिया। साजिषों का दौर षुरू हो गया क्योंकि ब्रिटिष सत्ता ने तिब्बत पर चीन की पूर्ण प्रभु सत्ता ॅ(व्टम्त्म्प्ळछज्ल) के स्थान पर चीन की निगरानी बाली सत्ता को स्वीकार कर लिया। परन्तु तिब्बत पर चीन को पूर्ण प्रभुसत्ता ॅ(व्टम्त्म्प्ळछज्ल) थी एवं हर स्थिति में तिब्बत, चीन का हिस्सा बना रहा।

परन्तु 1911 ई0 में डॉ0 सनयात सेन के नेतृत्व में चीन में क्रांति हो गई, क्विंग वंष की सत्ता समाप्त हो गई और ऊपरी तौर पर पूंजीवादी जनतंत्र कायम हो गया। इसका लाभ उठाकर अंग्रेजों ने तिब्बत को स्वतंत्र करने का शडयंत्र षुरू कर दिया। अक्टूबर 1913 से जुलाई 1914 तक षिमला में एक त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया गया। जिसमें चीन, ब्रिटिष और तिब्बत षामिल थे। इस सम्मेलन के षुरू होने के पहले ही अंग्रेजों ने तिब्बत से गुप्त संधि कर ली थी–

(1) ब्रिटिष सत्ता तिब्बत को चीन से स्वतंत्र सत्ता घोशित कर देगी।

(2) बदले में तिब्बत उसका विभाजित करने वाली अंग्रेजों द्वारा निर्मित ''मैंकमोहन रेखा'' को अपनी सीमा रेखा मान लेगा, किन्तु चीन की केन्द्रीय सरकार ने न तो संधीपत्र पर हस्ताक्षर किया और न उसे स्वीकार ही किया था।

1914 ई0 में अंग्रेजों द्वारा कागज पर निर्मित सीमा अपने आप रद्द हो गयी किन्तु अपने रिकार्ड और नक्शों में अंग्रेजों ने ''मैकमोहन लाइन'' को ज्यों का ज्यों कायम रखा था, जिसकी जानकारी अंग्रेंजों के अलावा किसी को नहीं थी। सन् 1914 ई0 की तत्कालीन ब्रिटिष निर्मित मैकमोहन लाईन की संधि को चौदहवें दलाई लामा की उत्पत्ति और विकास पूरी तरह से नकार देता है क्योंकि वर्तमान चौदहवें दलाई लामा की नियुक्ति खुद चीन की केन्द्रीय सरकार ने की थी न कि स्वतंत्र रूप से उनकी सत्ता कायम हुई थी।

चंगेज खाँ के वंषज, मंगोल षासक वर्ग, खुद उस समय बुद्ध धर्म के प्रचारक थे क्योंकि अभी तक उस क्षेत्र में इस्लाम का फैलाव नहीं हो पाया था। जगह–जगह बौद्ध षिक्षक और प्रचारक नियुक्ति करने लगे थे। 1576 ई0 में अंडा खान ने ''बज्रयानी'' दलाई लामा की उपाधि को जन्म दिया, 1578 में पहले दलाईलाम की नियुक्ति हुई थी जो एक ओर ''बज्रयानी'' राजसत्ता की षक्ति रखते थे, तो दूसरी ओर दलाई (समुद्र–मंगोलियायी भाशा) लामा के रूप में मुख्य ज्ञानी की षक्ति भी रखते थे। दोनों षक्तियों के साथ दलाई लामा की सत्ता तिब्बत आयी। इस प्रकार समुद्र की तरह व्यापक ज्ञान वाला मुख्य पुरोहित पद पर नियुक्ति की प्रथा चलती रही। दूसरे मंगोल बादषाहों ने पंचेन लामा की प्रथा को जन्म दिया था। इस प्रकार तेरहवें दलाई लामा तक यही व्यवस्था चलती रही, जिनकी मृत्यु 17 दिसम्बर 1933 को हो गयी थी।

चौदहवें दलाई लामा की जीवनी और नियुक्ति

चौदहवें दलाई लामा के बारे में अमेरिका और भारतीय अनुयायियों ने कई प्रकार की भ्रानितयाँ फैलाई हैं। इनको दूर करने के लिए निम्न तथ्यों की जानकारी आवष्यक है :–

''दलाई लामा'' जन्म से चीनी नागरिक –पूरा नाम–जेत्सून जेमपोल, नग्वांग लोगसेंग येषे, तेनजिन ग्यात्सो, जन्म 6 लुलाई, 1935–लक्सर, क्विंगधाई, जो चीन का एक प्रान्त है, पिता–चोक्योंग, माता–दिकी षेरिंग, राजतिलक एवं षासन–17 नवम्बर 1950 से अब तक। दलाई लामा का मतलब ''बुद्धिमता का सागर'' होता है। यह एक उपाधि है जो तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरू को मंगोलों द्वारा दी गयी है।

1. चौदहवें दलाईलामा का वास्तविक नाम जेत्सून जेमपोल नग्वांष येषे तेनजिन लौबसेंग तेन जिन ग्यात्सो रहा है, जिनका जन्म 6 जुलाई 1935 में तिब्बत में नहीं बल्कि चीन के क्विंगइ प्रान्त के एक किसान परिवार में हुआ था। इससे स्पश्ट है कि वर्तमान समय में मौजूद चौदहवें दलाई लामा तिब्बती नहीं चीनी नागरिक हैं, जो तिब्बतियों के धर्मगुरू हैं।

2. 31 जनवरी 1940 को चीन के राश्ट्रपति चियांग काई षेक के आदेष से वर्तमान दलाईलामा को दलाईलामा बनाया गया था, जिसका चयन एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम रहा होता, यह है कि दिवंगत दलाईलामा के तीन ''ैव्स ठव्ल्ै'' (आत्म बालकों) की तलाष की जाती है जो उनके मरने के एक वर्श बाद पैदा होते हैं और जिनमें वे विषेश गुण पाये जाते हैं, जो पुराने लामा में होते हैं फिर उन्हें जटिल प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है। चुने हुए व्यक्ति को चीन की सरकार द्वारा दलाईलामा के रूप में मान्यता दी जाती है।

इन दोनों तथ्यों से स्पश्ट है कि जब चीनी नागरिक तिब्बक का दलाई लामा बन सकता है और दलाई लामा का पद सिर्फ उसे मिलता है, जिसे चीन की केन्द्रीय सरकार मान्यता दे, तो यह अपने आप स्पश्ट हो जाता है कि तिब्बत, चीन का अभिन्न हिस्सा है, उससे स्वतंत्र देष नहीं है। चीनी कम्यूनिश्ट पार्टी के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ई0 को जैसे ही चीन की नयी जनवादी क्रांति पूरी होती है और विष्व का षक्ति संतुलन पूँजीवाद के विपरीत हो जाता है, वैसे ही अमेरिका ने एक ओर पहले कोरिया पर सीधे आक्रमण किया था, तो दूसरी ओर तिब्बत पर आक्रमण करने की योजना बनाना षुरू कर दिया था।

KAASHINDIA

अमेरिका द्वारा बार–बार कहा गया कि तिब्बत को ''चीन और भारत का मध्यवर्ती राज्य'' (ठनर्मित ैजंजम) बनाये रखा जायेगा। भारत अपनी सेना तिब्बत में भेजकर दूसरा मोर्चा खोले। अमेरिकी सेनाएँ उसके बाद भेजी जायेंगी। चीनी जनमुक्ति सेना तिब्बत भेजी गयी और तिब्बत की जनता को षांतिपूर्ण तरीके से मुक्ति दिलाई गयी थी, जो 23 मई 1951 ई0 को हुई 17 सूत्री संधि का परिणाम थी। बेजिंग में चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच लम्बी वार्ता भी हुई। जिस पर सारी दुनिया ने तिब्बत को चीन का अभिन्न हिस्सा माना था। 17 सूत्री संधि पत्र के कारण चीन की जनमुक्ति सेना ने तिब्बती जनता की षांति पूर्ण तरीके से अक्टूबर 1951 तक मुक्ति दिलाई थी। चीन की जनमुक्ति सेना ने तिब्बत में चुपचाप प्रवेष तो किया किन्तु भूमि सुधार नहीं किया। *नयी जनवादी क्रांति कार्य तिब्बती कम्यूनिश्ट पार्टी ने 1958 ई0 में पूरा किया था। तब ज्ञान हुआ कि दलाई लामा के नेतृत्व में पांच प्रतिषत लोग तिब्बत की 95 प्रतिषत जमीनों,पषुओं, भवनों आदि के मालिक थे। इन्हीं लोगों ने 10 मार्च 1959 ई0 को तिब्बत में सषस्त्र विद्रोह कराया था।*

यह विद्रोह अमेरिका की गुप्तचर विभाग द्वारा संचालित था, जिसे भारत की राजसत्ता का पूरा–पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त था। अन्यथा संभव नहीं था कि 10 मार्च 1959 ई0 के प्रति क्रांतिकारी विद्रोह के बाद दलाई लामा भागकर भारत चले आते और उन्हें भारत में षरण और खर्च के लिए लाखों अमेरिकी डालर मुफ्त में मिल जाते। दलाई लामा अपने साथ 27 अरब रूपयों का सोना भी लाये थे। भारतीया जनता को अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि 10 मार्च 1559 ई0 तिब्बत विद्रोह के सरगना लामा का भारत में पलायन और तत्कालीन प्रधानमंत्री पं0 जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनके सिलीगुड़ी के कुर्सियांग षहर में स्वागत ने भारत की कितनी अपूरणीय क्षति की है। इसका मूल्यांकन हम नीचे कर रहे हैं :–

1. चीन के दुष्मन दलाई लामा का भारत में दोसत के रूप में स्वागत एषियायियों को एषियायियों से लड़ाने की अमेरिकी योजना को पूरी करती रही क्योंकि 1954 ई0 में लगा हिन्दी चीनी भाई–भाई का नारा अब 1959 ई0 में हिन्दी चीनी बाई–बाई के नारे में बदल गया है।

2. चीनी नागरिक दलाई लामा का भारत में निवास और भारत के षासक वर्ग द्वारा जमीन पर दलाई लामा द्वारा चीन विरोधी गतिविधियों को दी गयी छूट से चिढ़ कर जनवादी चीन की सरकार ने भारत के षासक वर्ग पर आरोप लगाया कि भारत की नेहरू सरकार अमेरिकी षह और समर्थन से चीन विरोधी कार्यवाहियाँ कर रही है, दलाई लामा को अपनी जमीन पर पनाह दे रही है और उसको उभार रही है। इससे सीमा समस्या, सीमा विवाद में और सीमा विवाद, सीमाा युद्ध इसी का परिणाम था।

3. दूसरी ओर इसके ठीक विपरीत, तिब्बत में भारत के विस्तार वादी हस्तक्षेत्र और दलाई लामा प्रकरण का लाभ पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान के विदेष मंत्री भुट्टो 1963 ई0 में चीन गये और फिर चीन–पाकिस्तान की दीर्घकालीन मित्रता का युग षुरू हुआ। तिब्बत और दलाई लामा के मामले में भारतीय हस्तक्षेप के कारण ही चीन ने 1964 ई0 में भारत–पाक युद्ध में पाकिस्तान का पक्ष लिया था। 18 सितम्बर 1965 को चीनी अल्टीमेटम के तीन दिनों बाद ही युद्ध बंद हो गया था।

4. 1959 ई0 को चीन विरोधी दलाई लामा प्रकरण के कारण ही 1962 ई0 में भारत–चीन सीमा युद्ध के बाद भारत को ''गुट निरपेक्ष आन्दोलन'' छोड़कर पहली बार अमेरिका के साथ उसके खेमे में षामिल होने के लिए खुलेआम पत्र लिखना पड़ा था और बाद में 1977 में भारत–रूस सैनकि संधि करनी पड़ी।

ज्ञातव्य हो कि भारत की इच्छा के विपरीत 1962 ई0 के बाद ''गुट निरपेक्ष देषों'' की ओर से ''कोलम्बो'' प्रस्ताव आया था, जिसे श्रीलंका और कंबोडिया लाये थे, जिसे खुद भारत ने ही मानने से इन्कार कर दिया था।

5. 1962 ई0 के बाद धीरे–धीरे नेहरू और भारत विष्व राजनीति में अमेरिका के साथ के रूप में दक्षिण एषिया में विस्तारवादी षक्ति मान लिये गये और दलाई लामा के भारत आ जाने के पांच वर्शों के अन्दर ही नेहरू का निधन हो गया।

KASHMIR

6. दलाई लामा की भारत में उपस्थिति से चिढ़कर चीन आज भी पाकिस्तान को भारत के मुकाबले सैनिक दृश्टि से खड़ा करना चाहता है और पाकिस्तान को परमाणुविक और परम्परागत हथियारों से लैस करता जा रहा है ताकि भारत उसे दबा नहीं सकें।

7. परिणाम स्वरूप भारत और चीन की सीमा समस्या हल होने का नाम नहीं लेती है। आज तक ''स्पदम वि।बजनंस ब्वदजतवस'' तय नहीं हुआ है। इसका कारण ही दलाई लामा प्ररकण है।

8. इस दलाई लामा प्रकरण के कारण ही चीन में आज तक ''सिक्किम'' को भारत का हिस्सा नहीं माना है।

9. दलाई लामा प्रकरण के कारण ही चीन ''अरूणांचल'' को भी विवादित मानता है जबकि 1962 में चीनियों ने इसे जीतने के बाद भी खाली कर दिया था।

10. दलाई लामा प्रकरण ने भारत और चीन के बीच ''षीतयुद्ध'' की परिस्थितियाँ पैदा की। उसी ने बाध्य किया कि चीन रेलवे लाईन,हवाई अड्डा और सड़कों का जाल सीमावर्ती क्षेत्रों में बिछाये। भारत सरकार दलाई लामा की तो रक्षा कर रही है, किन्तु भारत के राश्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है। भारत एक लाख करोड़ रूपये प्रतिरक्षा पर खर्च कर रहा है, जिसका बड़ा हिस्सा घोटालों में चला जाता है, जिसका लाभार्थी अमेरिका होता है।

11. तनाव की इस परिस्थिति के विरोध में कभी–कभी सीमा पर सैनिक गतिविधयाँ भी संभावित हैं, ताकि सीमा की निगरानी के जरिये एक दूसरे की सैनिक तैयारियों की जानकारी प्राप्त की जा सके।

12. दलाई लामा प्ररकण के कारण अमेरिका न सिर्फ एषियायियों को एषियायियों से लड़ा रहा है, बल्कि प्रतिवर्श 50,000 करोड़ रूपये भी भारत से हथियारों और जासूसी के उपकरणों को बेचकर कमा रहा है। दलाई लामा प्ररकण के कारण एक और पड़ौसी चीन भारत से नाराज है, जिसके कारण भारत को अमेरिका पर हर प्रकार से निर्भर रहना पड़ता है, हथियार, जासूसी के उपकरण और अन्य सामान खरीदना पड़ता है, दूसरी ओर इस परिस्थिति का लाभ उठाकर पाकिस्तान चीन से करीबी सम्बन्ध कायम कर भारत के विरूद्ध कष्मीर में आतंकवादी कार्यवाहियाँ कर रहा है। भारत की जनता के साथ नेहरू सरकार ने साम्राज्यवादी दबाव में दो विष्वासघात किये थे।

(क) नेहरू ने 14–15 अगस्त 1947 ई0 को गुलाम भारत का साम्प्रदायिक आधार पूरे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में विभाजन की स्वीकृति दी थी, जिसमें दस लाख भारतीय मारे गये थे, जिससे कष्मीर समस्या पैदा हुई थी। ज्ञातव्य है कि अंग्रेजों ने नेहरू की सरकार पहले बनवा दी थी, बंटवारा बाद में किया था। नेहरू की सरकार पहले बनवा दी थी, बंटवारा बाद में किया था। नेहरू की अन्तरिम सरकार 2 सितम्बर 1946 ई0 को ही बन गयी थी। इसे भारत और पाकिस्तान के बीच अनवरत सषस्त्र संघर्श की स्थिति पैदा हुई थी।

(ख) 10 मार्च 1959 को तिब्बत में विद्रोह के बाद दलाई लामा को भारत बुलाना, उसका स्वागत करना, दूसरा बड़ा विष्वासघात था, जिससे भारत औश्र चीन के बीच मन–मुटाव बढ़ा था, जो आज तक जारी है। 8 से 24 अगस्त 2008 ई0 के बीच आयोजित ओलम्पिक खेलों के बाद सारी दुनिया मान्यता देने जा रही है कि अब दुनिया की प्रथम आर्थिक–सैनिक षक्ति अमेरिका नहीं, बल्कि समाजवादी चीन है। तब दलाई लामा भारत के षासक वबर्ग के गले में फांसी के फंदा बन जायेंगे। दलाई लामा और उनके एक लाख साथियों को भारत–भूमि छोड़नी पड़ सकती है। यह कार्य जितनी ही जल्दी हो, भारत के हितों के लिए उतना ही अच्छा होगा।

चीन से दलाई लामा गुट की वार्ता भी जारी है जैसे–जैसे चीन की आर्थिक सैनिक षक्ति बढ़ती जा रही है, तिब्बत का तेजी से समाजवादी रास्ते पर विकास होता जा रहा है, वैसे–वैसे दलाई लामा गुट ने भी अपनी राजनीतिक स्थिति को बदलना षुरू कर दिया है।

अब दलाई लामा गुट ने तिब्बत की स्वतंत्रता का नारा देना बन्द कर दिया है । उसके स्थान पर ''स्वायत्तता'' का नारा देना षुरू कर दिया है। यह गुट हांगकांग मकाओ और ताईवान जैसी स्वायत्तता चाहता है – एक देष दो व्यवस्थाएँ।

KASHINDIA

इसका भी कोई लाभ दलाई लामा गुट को दो कारणों से नहीं मिलने जा रहा है – पहला कारण है कि तिब्बत पिछले 50 वर्शों के अन्दर तेजी से समाजवादी औद्यौगीकरण के रास्ते पर चल रहा है, जहाँ कोई दूसरा वर्ग– पूँजीपति वर्ग मौजूद है ही नहीं जो दूसरी पूंजीवादी व्यवस्था चलाये। 95 प्रतिषत तिब्बती जनता समाजवाद के साथ बेहतर जीवन स्तर, बेहतर भोजन, बेहतर पढ़ाई,स्वास्थ्य सेवाएँ, रेल, सड़क वायुसेना, को छोड़कर दलाईलामा के सामन्ती युग के अंधकार में वापस जाना नहीं चाहती है।

दूसरा कारण यह है कि चीन ने 1 जुलाई 1997 ई0 को हांगकांग को चीन में षामिल किया और 50 वर्शों तक वहां पूँजीवादी व्यवस्था चलाने की छूट दी थी। आज 2008 ई0 में 12 वर्श बीत गये हैं, मात्र 38 वर्श बचे हैं। 38 वर्शों के बाद हांगकांग को समाजवादी रास्ते पर चलना ही पड़ेगा।

इस स्थितियों से स्पश्ट है कि दलाईलामा गुट का भविश्य इतिहास के कूड़ेदान में इंतजार कर रहा है। चीन में आयोजित ओलम्पिक खेलों का विरोध कर दलाई लामा गुट ने सिर्फ ओलम्पिक खेलों का ही प्रचार किया हैं।

संन्दर्भ ग्रन्थ :–

'तिब्बती इतिहास', लेखक–प्रो0 राधेष्याम

'प्राक्चीन और समकालीन स्थिति', डॉ0 अटेकर

'पहला अभियान', वैचारित मासिक पत्रिका'

'बौद्ध धर्म और तिब्बत', प्रो0 पाण्डुरंग

समीक्षा

पिछले दो माह पूर्व मैं आचार्यकुल सम्मेलन में आगरा गया था और वहां निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री श्री रिनपोछे जी का भाशण सुना। बहुत ही गंभीर भाशण था। तिब्बत समस्या कम और भारतीय लोकतंत्र केन्द्रित था। वहां मैंने प्रसिद्ध सर्वोदयी प्रो0 रामजी सिंह का लच्छेदार भाशण सुना जो तिब्बत पर केन्द्रित था। मैंने पाया कि उसमें यथार्थ कम था और कला प्रदर्षन अधिक। मेरी कसौटी यह रहती है कि गंभीर विद्वान अपने भाशणों में इस तरह हाथ नहीं फटकारते जिस तरह मैंने देखा। खैर, यह मेरी समीक्षा का विशय नहीं।

पिछले माह कुरूक्षेत्र के सर्वोदय सम्मेलन में ''तिब्बत में भारतीय नीति' विशय के मुख्य वर्त्ता राम जी सिंह थे और श्रोताओं में मैं भी था और पंकज जी भी। पंकज जी को भाशण की भाशा और असत्य पर गंभीर आपत्ति हुई जिसे वहाँ प्रकट करना उचित नहीं समझा गया। परिणाम स्वरूप आचार्य जी ने यह लेख लिखा। मैं समाज षास्त्र तक तो गंभीर हूँ किन्तु इतिहास की मुझे कोई जानकारी नहीं। इसलिए मैं न तो उस समय कुछ कहने की स्थिति में था न ही आज कुछ लिखने की स्थिति में। भूतकाल की घटनाओं से अनजान होने के कारण मैं अब तक तिब्बत के विशय पर सर्वोदय की बात को ही सही मानता रहा और अब पंकज जी के विस्फोट के बाद विचार बदलने भी लगे। में कभी राश्ट्रवादी नहीं रहा क्योंकि मेरे विचार में राश्ट्रवादी विवादों को उलझाना अधिक है और सूलझाना कम। तिब्बत परचीन का अधिकार उसका स्वाभाविक अधिकार मान लिया जाय तो पाकिस्तान पर भारत के अधिकार को क्या कहेंगे? इसलिए न तो मैं चीन को गलत कहने की जल्दी में हूँ न ही सही। पंकज जी ने इतिहास के जिस यथार्थ को प्रकट किया है उस पर वस्तु स्थिति रामजी सिंह या अन्य विद्वान स्पश्ट करेंगे तो हमें विचार मंथन में सुविधा होगी। मेरे विचार में आचार्य पंकज जी ने यह लेख लिखकर हम सबका और खासकर मेरा बहुत उपकार किया है।

कार्यालयीन प्रष्नों के उत्तर

KASHINDIA

प्रष्नः– जनसत्ता में श्री अजेय तिवारी का सोमनाथ चटर्जी की आलोचना में एक लेख छपा है, जबकि आपने सोमनाथ जी की प्रषंसा की है। उक्त लेख पढ़ने पर महसूस होता है कि सोमनाथ चटर्जी गलत थे। आप उक्त लेख को पढ़कर स्पश्ट करिये कि अब आपका क्या विचार है?

उत्तरः– मैने उक्त लेख पढ़ा। यदि साम्यवादी कसौटी पर तौलें तो अजेय जी का विचार ठीक प्रतीत होता है क्योंकि साम्यवाद में व्यक्ति के कोई मौलिक अधिकार नहीं होते। साम्यवाद में व्यक्ति के वे ही अधिकार होते हैं जो राज्य उन्हें देता है। राज्य को यह भी अधिकार होता है कि वह जब चाहे, वह अधिकार वापस ले। किन्तु लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में अधिकार तीन प्रकार के होते हैं :–

1.मौलिक 2. सवैधानिक एवं 3.सामाजिक ।

लोकतंत्र में व्यक्ति और समाज के अधिकारों के बीच एक सीमा रेखा हुआ करती है जो साम्यवाद में नहीं हुआ करती। सोमनाथ मुद्दे पर किसे आधार मानें यह एक जटिल प्रष्न है।

दूसरी बात यह है कि क्या लोक सभा अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ जी दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे या उनकी स्वतंत्र भूमिका थी? मेरे विचार में सोमनाथ जी अपने दल की सहमति से तो अध्यक्ष बने थे, किन्तु अध्यक्ष बनने के बाद उनकी दुहरी भूमिका स्थापित हो चुकी थी और उन्हें दोहरी भूमिका के लिए दल ने सहमति दी थी। क्या अध्यक्ष बनाते समय साम्यवादियों को यह उम्मींद थी कि सोमनाथ जी अध्यक्ष रहते हुए भी संसदीय कार्यों में अपने दल के अनुषासन का पालन करेंगे और यदि उन्हें ऐसी उम्मीद थी तो ये लोग बहुत खरतनाक प्रवृति के लोग है जिन्हें हर मामले में सिर्फ दलगत स्वार्थ ही दिखता रहता है। प्रष्न यह भी उठता है कि क्या दल को यह सहमति वापस लेने का भी अधिकार है। यह अधिकार कोई मुस्लिम विवाह तो है नहीं कि जब चाहे तब तीन तलाक दे दें और आगे कोई गुंजाइष ही नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष एक स्वतंत्र और सवैधानिक पद है जिस पर बिठाने के बाद आपका उस पद के संबंध में कोई अनुषासन नहीं चलता।

तीसरा बात यह है कि सोमनाथ जी ने जो निर्णय किया वह किसी लोभ लालच में किया या उच्च परंपराओं की स्थापना में। अध्यक्ष यदि पूरी तरह निश्पक्ष हो, अपने दल के प्रति भी तटस्थ हो, मतदान न करे तो यह आदर्ष परंपरा होगी और ऐसी आदर्ष परंपरा के विरूद्ध मजबूत करना अनैतिकता। प्रतिवर्श साम्यवादी दल की सदस्यता का नवीनीकरण होता है। दो–चार माह के बाद आप उनका नवीनीकरण रोक सकते थे। क्या बिगड़ जाता दो–चार माह में? मुझे तो ऐसा लगा कि इस कार्यवाही के माध्यम से साम्यवादियों को अपनी जात बतानी थी अर्थात् दुनिया को यह दिखाना था कि साम्यवाद में स्वतंत्रता की कल्पना करने वाले ना समझ हैं। स्वाभाविक मौत मर रहे सांप को भी लाठी मारना इनकी कार्य प्रणाली का हिस्सा है जिससे दूसरो को सबक मिले। यही कारण है कि आनन–फानन में यह कदम उठाया गया।

सोमनाथ जी को नैतिकता के आधार पर दल के प्रति प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देनी चाहिए या लोक सभा अध्यक्ष पद के प्रति निश्पक्षता को। इस पर हमारे और तिवारी जी के मत भिन्न हो सकते हैं। इस पर आगे और चर्चा होगी किन्तु मैंने अजय तिवारी का एक लेख एक वर्श पूर्व पढ़ा था जिसमें उन्होंने भोपाल के एक सिन्धी परिवार की लड़की द्वारा मुस्लिम लड़के से किये जाने वाले प्रेम विवाह में पारिवारिक अनुषासन के विरूद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया था। मैं अब भी अपनी दोनों बातों पर कायम हूँ। मैं नहीं कह सकता कि इन दोनों लेखों के लेखक एक ही व्यक्ति हैं या दो। यदि एक ही हैं तो मैं तिवारी जी से जानना चाहूँगा कि परिवार में व्यक्ति के अधिकार और दल में व्यक्ति के अधिकार विशय पर विचार करने में आपका दुहरा मापदण्ड क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था आपकी सोच में बाधक है और राजनैतिक दलीय व्यवस्था साधक? मेरी इच्छा है कि दोनों मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। यह तय करना आवष्यक है कि समाज में व्यक्ति और परिवार के अधिकारों की सीमा रेखा क्या होगी तथा व्यक्ति और दल के बीच की सीमा रेखा क्या होगी? परिवार में व्यक्ति को असीमित अधिकारों की वकालत और दल में व्यक्ति के अधिकार षून्य बताने पर हमें फिर से विचार करके सबकी सीमा रेखा बनानी चाहिए।

<u>प्रष्नोत्तर</u>

KASHMIR

श्री राम त्रिपाठी, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4 (उ0प्र0)

प्रष्न–1 अमरनाथ के संदर्भ में अपने टिप्पणी की। आप जानते हैं कि कष्मीरी हिन्दुओं को वहाँ से भगा दिया गया और पूरा भारत कुछ नहीं कर सका। क्या यह उचित नही होगा कि इस तरह यत्र–तत्र रह रहे कष्मीरी पंडितों को पुनः कष्मीर में बसाकर उनकी सम्पत्ति उन्हें वापस कराने की पहल की जावे। आपका क्या विचार है?

उत्तर :– कुछ वर्श पूर्व आपसे लखनऊ में भेंट हुई तो आपकी गंभीरता का आभास हुआ था। उसके बाद आपसे मिलना भी नहीं हुआ और पत्र व्यवहार भी नहीं हुआ। आपके इस पत्र के माध्यम से मैं आपसे गंभीर चर्चा इच्छुक हूँ।

कष्मीरी पंडितों की का मामला मूल समस्या नहीं है और मूल समस्या पर विचार किये बिना समाधान भी अधूरा ही रहेगा। अमरनाथ यात्रा विवाद भी मूल समस्या नहीं हैं ऐसी समस्याओं पर तो सामान्य लोगों से चर्चा की जाती है आप जैसे गंभीर लोग ऐसी चर्चा के लिए नहीं है।

मूल समस्या यह है कि इस्लाम ने पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना अपना लक्ष्य बनाया है और उसके लिए बल प्रयोग सहित किसी भी मार्ग का उपयोग किया जा सकता है। इसाईयत ने पूरी दुनिया को इसाई बनानके का संकल्प किया है और उसके लिए बल प्रयोग छोड़कर अन्य सभी मार्ग अपनाये जा सकते हैं जिसमें धन षामिल है। हिन्दू सारी दुनिया को हिन्दू देखना चाहते हैं, बनाना नहीं। इसलिए वे बल प्रयोग या धन प्रयोग करना अनैतिक मानते हैं। बहुत प्राचीन काल में तो हिन्दू धर्म न होकर समाज व्यवस्था थी, जिसमें सिख, जैन, बौद्ध आदि सब षामिल थे। हिन्दू तो इसाई मुसलमान को भी इसी का अंग मानते रहे। पिछले कुछ सौ वर्शो से "हिन्दू" समाज से हटकर धर्म तक सिकुड़ गया। इसका कारण क्या है यह भिन्न विशय है।

भारत में लम्बे समय तक विदेषी सत्ता रही जिसके अत्याचारों का हिन्दू समाज ने मुकाबला किया। किन्तु स्वतंत्रता के बाद स्थिति बदली। हिन्दू समाज ने राहत की सांस ली कि अब मुसलमान या ईसाई अनैतिक तरीके से हिन्दुओं का धर्म परिवर्तन नहीं करा पायेंगे। उस समय तक संघ परिवार पूरी ईमानदारी से हिन्दूत्व की सुरक्षाा में लगा था और उसे आम हिन्दुओं का विष्वास भी प्राप्त था। भले ही आम हिन्दू संघ के हिंसा के मार्ग से सहमत न हो किन्तु उसके मन में एक अच्छी भावना तो थी। किन्तु एका–एक संघ ने करवट बदली और वह आम हिन्दुओं के विष्वास का लाभ उठाकर सत्ता संघर्श में कूद पड़ा। स्वाभाविक ही था कि संघ में राजनीति के गुण दोशों का भी प्रभाव पड़ा और राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के कारण बहुत हिन्दुओं में फूट पड़ी। बहुत से लोगों ने तो न चाहते हुए भी राजनैतिक लाभ के लिए मुसलमानों, इसाईयों से भी गठजोड़ कर लिया। प्रारंभ में तो ऐसा आभास हुआ कि राजनीति संघ के लिए साधन मात्र है साध्य नहीं किन्तु कुछ ही समय में यह भ्रम दूर हो गया और स्पश्ट हो गया कि संघ राजनीति में षामिल नहीं है बल्कि वह तो सत्ता संघर्श में षामिल है। अन्य कोई समूह ऐसा दिखता नहीं और स्वयं की इतनी ताकत नहीं है। ऐसी स्थिति में आप बताइए कि मेरे सरीखे लोग क्या करें?

मैं भी महसूस करता हूँ कि हिन्दुत्व का कमजोर होना पूरी विष्व व्यवस्था के लिए खतरनाक है किन्तु मार्ग क्या है? यदि हम सिर्फ भारत की चर्चा करें तो यहाँ हिन्दुत्व की सुरक्षा के दो मार्ग प्रत्यक्ष दिखते हैं :–

1. समान नागरिक संहिता
2. धर्म परिवर्तन कराने पर रोक।

यदि इन दो को लागू कर दें तो पूरे भारत में सीधा ध्रुवीकरण हो सकता है। मुसलमान और ईसाई ऐसा कानून बनने नहीं देगे, ईसाई तो षायद चुप भी रह जावें, किन्तु मुसलमान तो इसके विरोध में जान देने तक पीछे नहीं रहेंगे। सीधा ध्रुवीकरण संभव है। इस प्रावधान के लागू होते हो अल्पसंख्यक–बहुसंख्यक के प्रावधान भी खतम हो जावेंगे और भावना भी। बाकी सब बातें अपने आप ठीक हो सकती है।

KASHMIR

संघ या अन्य हिन्दुत्व वादी संगठनों ने इन दोनों बातों को अपने एजेन्डे में षामिल करके इनकी विष्वसनीयता भी खतम कर दी है और अपनी भी। जब कोई संघ का व्यक्ति समान नागरिक संहिता और हिन्दूराश्ट्र,गोमाता, भारत माता को एक साथ जोड़ देता है तो समान नागरिक संहिता का महत्व ही खत्म हो जाता है। समान नागरिक संहिता को समान आचार संहिता के साथ जोड़ देने से भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसी तरह धर्म परिवर्तन ''कराने पर रोक'' षब्द को '' करने पर रोक'' कहने से ही अर्थ बदल जाता है। समाज में बिल्कुल साफ संदेष जाना चाहिए । हिन्दू राश्ट्र गोमाता आदि का काम आप अन्य झंडे तले करें तो करें। किन्तु इस बैनर तले तो दो ही काम होगा। मैं महसूस करता हूँ कि साम्यवाद और इस्लामिक कट्टरवाद हमारे समझ गंभीर चुनौती है। साम्यवाद से तो अलग से सोच चल रहा है किन्तु इस्लामिक कट्टरता के साथ योजना पूर्वक विचार न होकर खिलवाड़ हो रहा है, जिसके कारण बहुत हानि हो रही है। मेरे विचार से एक पृथक प्रयास हो जो इन दो मुद्दों पर ही केन्द्रित होकर सोचे तो षायद कुछ बात बने।

श्री नरेष कुमार षर्मा, जोगेष्वरी पूर्व बम्बई–400060

समीक्षा– ज्ञानतत्व अंक एक सौ अठ्ठावन में मंहगाइ का भूत षीर्शक लेख बहुत पंसद आया। बहुत ही गंभीर आर्थिक विष्लेशण पढ़ने को मिला कष्मीर संबंधी विचार भी ठीक हैं। कष्मीर में स्थिति के संदर्भ में आपकी सोच क्या है?

उत्तरः– अंक 158 में मैंने लिखा था कि –

1. गुलाम नवी आजाद ने सूझ–बूझ का परिचय देते हुए षाइन बोर्ड को आवंटित पट्टा रद्द कर दिया। इस कदम से फारूख परिवार और मुफ्ती परिवार के साम्प्रदायिक मन्सूबे ध्वस्त हो गये।
2. यह निर्णय कष्मीरी मुसलमानों के लिए विजय की खुषी मनाने का नहीं है क्योंकि इस निर्णय से पूरे भारत में संघ परिवार के प्रति हिन्दुओं की स्वाभाविक सहानुभूति बढ़ेगी।
3. इस निर्णय से देष भर में हिन्दु–मुस्लिम भाईचारा और कमजोर होगा। कहीं धारा तीन सौ सत्तर पर ही फिर से बहस न षुरू हो जावें।

मैंने जैसा सोचा था वही हुआ। फारूख परिवार तो सम्हल गया किन्तु मुफ्ती परिवार कष्मीर को ही भारत समझने की भूल कर बैठा। उसने सरकार से समर्थन वापसी के साथ–साथ अलगाव वादी हवा भी बहानी षुरू कर दी। पूरे भारत में कष्मीर के लिए चिन्ता पैदा होने लगी। संघ परिवार और भाजपा इस स्थिति का लाभ उठाने लगे। लगने लगा कि कष्मीर में टकराव टालने की हमारी सोच को कमजोरी मान लिया गया है और यदि तुरन्त कठोरता नहीं हुई तो अलगाव–वादी षक्तियां भी मजबूत होंगी और भाजपा भी। एका एक सरकार गंभीर हुई और कष्मीरी अलगाववादियों को कठोरतम संदेष दे दिया गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुसलमानों के मामले में तुश्टीकरण की नीति पर चलने वाली मनमोहन सरकार ठीक समय पर इतना कठोर संदेष देगी। अब्दुल्ला परिवार ने भाशा बदल ली। मुफ्ती परिवार हत– प्रभ है। सरकार जरा भी कमजोरी नहीं दिखा रही। कट्टरवादियों को संदेष दे दिया गया कि उन्होंने अपना विष्वास खो दिया है।

यह एक अच्छा अवसर था। कष्मीर से बाहर के कुछ मुसलमानों ने घाटी के साम्प्रदायिक तत्वों के विरूद्ध आवाज उठाई। यदि ऐसी आवाज अधिक जोरदार होती तो मुसलमानों के लिए भी अधिक अच्छा होता और यदि आवाज बिल्कुल नहीं उठती तो बहुत बुरा होता। जो हुआ वह संतोश का विशय है। घाटी के मुसलमानों ने अदूरदर्षिता दिखाकर अपनी विष्वसनीयता को लम्बे समय तक संकट में डाल दिया है। षेश भारत के मुसलमानों ने चुप रहकर अपनी इज्जत बचा ली है। संघ परिवार ने मौके का लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और धर्म निरपेक्ष ताकतों को भी पता चल गया है कि कष्मीर में सिर्फ पुचकारने से ही नहीं, फुफ कारने की भी जरूरत है। यदि कष्मीर का मुसलमान भारतीय जनमानस के संदेष को न समझकर स्वार्थी मुफ्ती परिवार के ही संदेष को समझना चाहता है तो परिणाम के विशय में मैं क्या भविश्य वाणी करू?

KASHINDIA

लोक स्वराज्य सम्मेलन सम्पन्न

प्रसिद्ध गाँधीवादी ठाकुरदास जी बंग के आव्हान तथा गाँधी वादी कार्यकर्ता श्री गड़करी जी, आचार्य पंकज, संतोश द्विवेदी तथा अविनाथ काकड़े के सामूहिक आमंत्रण पर गाँधी जी के सेवाग्राम आश्रम में तीन दिनों तक एक लोक स्वराज्य सम्मेलन सम्पन्न हुआ। प्रयत्न किया गया था कि सम्मेलन में लोक स्वराज्य की भावना को ठीक ढंग से समझने और सक्रियता के लिए सहमत विषेश लोग ही आवें। सम्मेंलन लोक स्वराज्य की भावना को समझने–समझाने में अधिक षक्ति न लगाकर कोई ठोस निर्णय करके ही समाप्त हो यह पूरी–पूरी सतर्कता आमंत्रण के पूर्व ही बताई जा चुकी थीं।

यह सम्मेलन पूर्व के वर्शों में सम्पन्न लोग स्वराज्य सम्मेलनों की अगली कड़ी के रूप में घोशित नहीं था क्योंकि पिछले सभी लोक स्वराज्य सम्मेलन में बुलाता भी था और संचालन भी करता था किन्तु इस सम्मेलन में मेरी ऐसी कोई भी प्रत्यक्ष भूमिका षून्य ही थी और मैं भी अधिकारिक रूप से अन्य आगुन्तकों के समान ही था। फिर भी चूँकि पहले के लोग स्वराज्य सम्मेलनों में सर्वोदय के साथियों की लगातार भूमिका रही है इसलिए सर्वोदय के लोगों द्वारा सम्मेलन आयोजित होते हुए भी पिछले सम्मेलनों की चर्चाएँ पुनरावृति न हों औ सम्मेलन किसी आंदोलन के संबंध में निर्णय ले सके यह सोचकर बीस तारीख को प्रथम सत्र तक ही पिछली पुनरावृति को समेट कर एक सीमा रेखा बना दी गई। सारी कार्यवाही पांच सत्रों में बांटी गई :–

1. 20 सितम्बर साढ़े दस से डेढ़ बजे तक– लोक स्वराज्य क्यो? क्या? और कैसे विशय पर खुली चर्चा।
2. इसी दिन ढाई बजे से साढ़े पांच बजे तक–लोक स्वराज्य के लिए प्रत्यक्ष संघर्श के मुद्दे तय करना।
3. इक्कीस सितम्बर नौ बजे से एक बजे तक– आन्दोलन का नाम, झंडा,उद्देष्य, दिषा, संगठन का स्वरूप, कार्यवाही आदि विशयों पर विस्तृत चर्चा।
4. इक्कीस सितम्बर ढाई बजे से साढ़े पांच तक–संगठन बनाना और नव निर्मित संगठन का कार्य प्रारंभ।
5. 22 सितम्बर नौ से डेढ़ तक– संघर्श की योजना, घोशणा और समापन।
6. 22 सितम्बर ढाई से छः बजे तक– अनौपचारिक अनाधिकृत चर्चाएँ एवं समीक्षा।

20 तारीख के पहले सत्र में ठीक समय पर कार्यवाही षुरू हुई। चूँकि यह सम्मेलन सर्वोदय कार्यकत्ताओं के आमंत्रण का सेवाग्राम आश्रम में होते हुए भी किसी संगठन विषेश का सम्मेलन न होकर स्वतंत्र सम्मेलन था, जिसमें अनेक संगठनों के लोग अपनी–अपनी स्वतंत्र और व्यक्तिगत भूमिका में भाग ले रहे थे इसलिए सबसे पहले सम्मेलन की ही कार्य विधि पर निर्णय हुए। इसी चर्चा के अन्तर्गत अलग–अलग सत्रों का समय और चर्चा की सीमांए तय हुई। तय हुआ कि पूरे सम्मेलन का संचालन बंग जी करेंगे। जिनके नियंत्रण में चोरी आयोजक गडकरी जी, पंकज जी, संतोश भाई और अविनाष जी मिलकर संचालन करेंगे। संचालन में किसी और का कोई हस्तक्षेत्र या अधिकार नहीं होगा। उद्घाटन सत्र का उद्घाटन भाशण बंग जी ने देकर सम्मेलन की विधिवत् षुरूआत की। इसके बाद मैंने लोक स्वराज्य सम्मेलनों का इतिहास बताते हुए इस सम्मेलन की स्वतंत्रता और सीमाएँ बताई। इसके बाद संतोश भाई ने उन्नीस तारीख को कुछ विषेश साथियों के बीच हुई अनौपचारिक चर्चा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया और उसके बाद सम्मेलन में यह मुद्दा खुली चर्चा के लिए छोड़ दिया गया। 30 लोगों ने अपने–अपने विस्तृत सुझाव रखे और इन सुझावों पर बीच–बीच में प्रष्नोत्तर भी चलता रहा। एक बात पर सबकी सहमति थी कि आंदोलन होना चाहिए जिसमें सब प्रकार के लोगों को षामिल किया जाय। आंदोलन के दो पूर्व निष्चित मुद्दे राइट टू रिकाल तथा परिवार, गाँव, जिले को सवैधानिक अधिकारों की सूची में से परिवार गाँव जिले की सूची पर तो सर्व सम्मति थी किन्तु राइट टू रिकाल की उपयोगिता पर कुछ षंकाएँ उठी। संक्षिप्त चर्चा के बाद षंकाएँ दूर हो गई। इस सत्र में एक बात जोर षोर से उठी कि राजनैतिक विशमता के साथ–साथ आर्थिक विशमता का भी मुद्दा जोड़ा जाये। लमबी चर्चा के बाद यह बात सर्व सम्मति से स्वीकार कर ली गई।

KASHINDIA

ढाई बजे से दूसरा सत्र षुरू हुआ। दूसरे सत्र की चर्चा को आंदोलन के मुद्दों तक सीमित करना था। दो मुद्दों तो थे ही। राइट टू रिकाल तो स्पश्ट था किन्तु स्थानीय इकाइयों को क्या अधिकार मिले यह स्पश्ट नहीं था। लम्बी चर्चा के बाद तय हुआ कि वर्तमान संविधान में स्थानीय इकाइयों को तिहत्तरवें संविधान संषोधन द्वारा जो कार्यकारी अधिकार दिए गये हैं उन विशयों के विधायी अधिकार भी इन इकाईयों को मिलें, ऐसे मुद्दों पर हमारा आंदोलन केन्द्रित होना चाहिए।

21 सितम्बर को पहला सत्र नौ बजे ही षुरू हुआ। इस सत्र में चर्चा के विशय थे– 1. आन्दोलन का नाम, 2. लक्ष्य, 3. संघर्श के तात्कालिक मुद्दे, 5. संघर्श का तात्कालिक तरीका एवं 6. संगठन।

आंदोलन का नाम ''लोक स्वराज्य अभियान'' घोशित किया गया। लक्ष्य ''षासन के अधिकार,दायित्व तथ हस्तक्षेत्र न्यूनतम होने के लिए 'अहिंसक अभियान' घोशित हुआ। दिषा के संबंध में माना गया कि हमारी स्पश्ट दिषा ऐसी हो कि सत्ता के केन्द्रीकरण तथा अकेन्द्रीकरण के बीच स्पश्ट ध्रुवीकरण हो। इसका अर्थ यह हुआ कि षासन के किसी भी ऐसे कार्य या आदेष का समर्थन या मांग न की जावे जिससे षासन मजबूत होता हो चाहे उसके पीछे कोई जनहित का तर्क भी क्यों न जुड़ा हो।

संघर्श के तात्कालिक मुद्दे के रूप में पहला मुद्दा के रूप में पहला मुद्दा राश्ट्रपति के वेतन वृद्धि के विरूद्ध सषक्त अभियान को स्वीकार किया गया। माना गया कि राश्ट्रपति सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्था का प्रमुख प्रतीक होता है। उसे विरोध का केन्द्र बनाना विषेश रूप से उनके वेतन वृद्धि कों बनाना सबसे उचित मुद्दा माना गया। संघर्श के तात्कालिक मुद्दे के लिए चार प्रतीक सुझाये गये :–

1. भारतीय संविधान का पुतला दहन।
2. संसद का पुतला दहन।
3. राश्ट्रपति का पुतला दहन।
4. वर्तमान राजनीति का पुतला दहन।

विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि इस मुद्दे पर बाद में तय किया जाये। संगठन के संबंध में भी व्यापक चर्चा हुई। तय हुआ कि पूरे भारत को मिलाकर एक सौ लोगों की एक संचालन समिति बने। इस समिति में से दस लोंगों का संयोजक मंडल हो जो मिलकर कार्य करें। सबसे ऊपर एक संरक्षक मंडल हो। संयोजक मंडल के बीच गंभीर मतभेद हों और अन्त तक निर्णय न हो तो संचालन

KASHINDIA